

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. इन्द्राज पुत्र महादेव जाति जाट निवासी ग्राम जटवाडा तह. बस्सी।		1. सूरजमल पुत्र रामरख 2. बाबूलाल पुत्र महादेव 3. प्रभूदयाल पुत्र महादेव 4. झूथालाल पुत्र महादेव 5. सुपार बेवा महादेव समस्त जाति जाट समस्त निवासी ग्राम जटवाडा तह. बस्सी। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 7. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 57/12


निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में पेश हुई। तहसीलदार बस्सी से कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 91/1 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 91/2 रकबा 8 बिस्वा, ख.नं. 91/3 रकबा 8 बिस्वा, ख.नं. 275/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 275/2 रकबा 14 बिस्वा, ख.नं. 275/3 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 275/4 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 374/1 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 374/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 374/3 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 374/4 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 374/5 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 374/6 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 374/1, 1671/275/3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 बीघा खातेदार इन्द्राज पुत्र महादेव कोम जाट सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 1672/374/2 कुल किता 5 कुल रकबा 6.02 बीघा खातेदार बाबूलाल प्रभुदयाल झूथालाल पि. महादेव सुपार पत्नि स्व. महादेव कोम जाट सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 91/1, 91/2, 91/3, 347/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6 कुल किता 8 कुल रकबा 7.11 बीघा खातेदार सूरजमल पुत्र रामरख कोम जाट सा. देह राहिन मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जटवाडा मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट जटवाडा में मजमे आम में सुना गया।

मोहर


14.5.18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी
बस्सी जिला जयपुर

**अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. इन्द्राज पुत्र महादेव जाति जाट निवासी ग्राम जटवाडा तह. बस्सी।		1. सूरजमल पुत्र रामरख 2. बाबूलाल पुत्र महादेव 3. प्रभूदयाल पुत्र महादेव 4. झूथालाल पुत्र महादेव 5. सुपार बेवा महादेव समस्त जाति जाट समस्त निवासी ग्राम जटवाडा तह. बस्सी। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी। 7. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक बस्सी।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 57/12

निर्णय दिनांक 14.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 91/1 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 91/2 रकबा 8 बिस्वा, ख.नं. 91/3 रकबा 8 बिस्वा, ख.नं. 275/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 275/2 रकबा 14 बिस्वा, ख.नं. 275/3 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 275/4 रकबा 4 बिस्वा, ख.नं. 374/1 रकबा 1 बीघा, ख.नं. 374/2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, ख.नं. 374/3 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 374/4 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 374/5 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 374/6 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 374/1, 1671/275/3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 बीघा खातेदार इन्द्राज पुत्र महादेव कोम जाट सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 1672/374/2 कुल किता 5 कुल रकबा 6.02 बीघा खातेदार बाबूलाल प्रभुदयाल झूथालाल नि. महादेव सुपार पत्नि स्व. महादेव कोम जाट सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 91/1, 91/2, 91/3, 347/2, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6 कुल किता 8 कुल रकबा 7.11 बीघा खातेदार सूरजमल पुत्र रामरख कोम जाट सा. देह राहिन मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जटवाडा मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।.....निजी..... मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....

..फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.18 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त.....
ओहदा.....

मुकदमा	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		/
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		

Contd--2

महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
---	--	--	---	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

End

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिल्सी जयपुर